न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 04/23 वर्ष 2023

GCMS NO :–2023/21

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. मैसर्स महावर साईकिल, चौथ का बरवाडा, स्टेशन रोड़ चौथ का बरवाडा
2. श्री जितेन्द्र महावर पुत्र श्री रामदयाल महावर निवासी चौथ का बरवाडा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
श्री रामस्वरूप साहू वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 20.9.2024

प्रवर्तन अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.01.2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.01.2023 को घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच के दौरान अप्रार्थी अपनी फर्म महावर साईकिल, चौथ का बरवाडा पर 6 घरेलू गैस सलेण्डर मिले जिनमे से गैस निकालकर छोटे पेट्रोमेक्स सिलेण्डरो में घरेलू गैस का अवैध रूप से रिफिलिंग करने के उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये छः गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्री ज्ञानचन्द,प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर एवं श्री मुनेश मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 4.01.2023 को अप्रार्थी की मैसर्स महावर साईकिल, चौथ का बरवाडा पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री जितेन्द्र महावर पुत्र श्री रामदयाल महावर निवासी चौथ का बरवाडा उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मे से बांसुरीनुमा यंत्र से गैस निकालकर छोटे पेट्रोमेक्स सिलेण्डरर्स मे घरेलू रसोई गैस भरने के व्यावसायिक कार्य मे उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गेस सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना पाया गया। अतः द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की शर्त संख्या 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) 4(1)(क) एवं 7(ग) का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 6 गैस सलेण्डर एवं गैस ट्रान्सफर करने के दो उपकरणों को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स उषा एचपी गैस सर्विस चौथ का बरवाडा के प्रतिनिधी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बीरबल राम को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क्र.स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का विजन कि.ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्ध गैस
1	एच.पी.सी.एल	420964 P	15.6	15.6	0
2	एच.पी.सी.एल	244901 P	15.3	[illegible]	0
3	एच.पी.सी.एल	846209 T	15.7	[illegible]	0
4	आईओसीएल	281790 P	15.4	[illegible]	14.0
5	एच.पी.सी.एल	722318 P	15.9	15[illegible]	0
6	आईओसीएल	132084 T	15.9	30.0	1[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:33 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 04/23 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम गैसर्रा महावर साईकिल)

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 6 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी की साईकिल रिपेयर की दुकान है जिसपर कोई गैस रिफिलिंग का कार्य नही किया जा रहा था उक्त जब्त किये गये सलेण्डरो अप्रार्थीगण के एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के थे क्योकि प्रार्थी की दुकान के पास ही उषा गैस ऐजेन्सी एवं आईओसीएल की ऐजेन्सी होने के कारण वहाँ से सलेण्डर भरवाकर प्रार्थी की दुकान पर रख देते है ओर घर जाते समय लेकर चले जाते है कभी कभी पडौसी भी गैस भरवाने आते है ओर गैस उपलब्ध नही होने पर खाली सलेण्डर दुकान पर रख जाते है जिनको गैस उपलब्ध होने पर भरवाकर ले जाते है। उस दिन भी प्रार्थी की दुकान पर एचपीसीएल का सलेण्डर नम्बर 420964 प्रार्थी के भाई लडडू के उपभोक्त कमांक 201490 का तथा एचपीसीएल का सलेण्डर नम्बर 244901 व 846209 प्रार्थी के भतीजे हनुमान के उपभोक्त कमांक 202704 का है तथा एचपीसीएल का सलेण्डर नम्बर 722318 प्रार्थी स्वंय रामदयाल के उपभोक्त कमांक 201509 का है एवं आईओसीएल का सलेण्डर नम्बर 281790 रामबाबू के उपभौक्ता कमांक 52832629 तथा आईओसीएल का सलेण्डर नम्बर 132084 सीतादेवी के उपभोक्त कमांक 7062733290 का है। उस दिन भी प्रार्थी का भाई लडडू, भतीजा हनुमान एवं प्रार्थी स्वंय भी एचपीसीएल के सलेण्डर भरवाने के लिए लाये थे किन्तु गैस उपलब्ध नही होने कारण दुकान पर ही रख दिये गये तथा रामबाबू एवं गीता देवी गैस भरवाकर रख बाजार का काम करने चले गये थे लेकिन इसी दौरान जॉच दल द्वारा उक्त गैस सलेण्डर भी जब्त कर लिये गये है। यह भी तर्क दिया प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर केवल साईकिल रिपेयर का कार्य ही करता है किसी प्रकार का कोई गैस रिफिलिंग का कार्य नही किया जाता है। अतः प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई भतीजा एवं रामबाबू एवं गीता देवी के जब्त किये गये 6 गैस सिलेण्डर को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की दुकान से प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 4.1.2023 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 6 गैस सलेण्डर की सुपुदर्गी बाबत अप्रार्थी के अतिरिक्त किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे पेश नही किया जाना एवं मौके पर से रिफिलिंग यंत्र बरामद होने से उक्त गैस सलेण्डररर्स का उपयोग अप्रार्थी द्वारा गैस रिफिलिंग हेतु किये जाने की आशंका से मना नही किया जा सकता है। अतः जब्त किये गये उक्त गैस सलेडर का उपयोग रिफिलिंग हेतु किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन हो जाती है। अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन कि उक्त गैस सलेण्डर भरवाने के लिए रखे गये थे अथवा भरवाकर रखे गये थे के समर्थन में उपभोक्ता डायरी के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा संबंधित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र/सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र इत्यादि पेश नही किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन अधिकारी स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 6 गैस सिलेन्डर मय 2 बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 6 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:33 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner